

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 14.02.13 से 24/04/13 तक

RTPS APPLICATION NO.: 0252/14.02.13

देश पत्रक:

ला - पटना

य का प्रकार: दाखिल खारीज हलका-03 दाखिल खारीज बाद सं० 27 / 2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्री/श्री मती सुनीलवता खिन्ना
 पिता/पति संजय कुमार
 ग्राम न्यू बंगाली रोसा देवी स्यात, वसु (पूर्व) पो० ली० पी० ३१०
 थाना जयकनपुर जिला पटना दिनांक 14.02.13 को
 केवाला सं० 41 दिनांक 02.01.13 के
 /सुपरधिकार के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा	लगान
<u>अठहुल्लाहचक</u>	<u>67</u>	<u>33</u>	<u>310</u>	<u>0-12 1/2</u>	<u>1.00</u>

मूल आवेदन पर हलका कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें।
 अभिलेख दिनांक 21.02.13 को उपास्थापित करें।
 लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
 फतुहां।

अंचलधिकारी
 फतुहां।

अभिलेख उपस्थापित है। हलका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हलका कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि विक्रेता सं०-01 श्री मल्यानन्द सिंह की माता व विक्रेता सं०-02 श्री कमलेश कुमार के दादी श्री अजनासे कुंवर रई द्रौपदी कुंवर के नाम से कायम है।

अतः हलका कर्मचारी को प्रतिवेदन के आलोच में आवेदिका से जमावंदी रकम की शपथपत्र विकापली व विक्रेता को हिलेले प्रारत जमीन की बिकारा की कीपी की मति देती अभिलेख दि 16.04/13 को उपस्थापित को संस्थापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी

अंचलधिकारी

P.T.O.

21/02/13

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां
आदेश

पृष्ठ संख्या:-02

हल्का सं०.....०३..... दाखिल खारीज बाद सं० २५ / 2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
वारे में
टिप्पणी
तारीख
सहित

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका
उपस्थित/अनुपस्थित। वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है। चूंकि आवेदित जमीन का
जमाबंदी विक्रेता/पावरदाता के पिता/माता/दादा/दादी के नाम से कायम है ऐसी
परिस्थिती में जमाबंदी रैयत के वंशजों के बीच नियमानुकूल सर्वमान्य बँटवारा
सिडियूल तथा जमाबंदी रैयत के वंशजों की अनुपत्ति आवश्यक है। अतः उक्त साक्ष्य
के बगैर दा०खा० स्वीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त वांछित
साक्ष्य के अभाव में आवेदक/आवेदिका के आवेदन को खारिज किया
जाता है। आवेदक/आवेदिका अगर चाहें अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए
सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।